न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—381/2016/223 (2016/000381)

1. हरदीन पुत्र लालू (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— पांची पत्नी स्व0 हरदीन,
   1/2— भंवरलाल पुत्र स्व0 हरदीन,
   समस्त जाति भांभी, निवासी पनेर, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
   1/3— श्रीमती कमला पुत्री स्व0 हरदीन पत्नी तुलछाराम, जाति भांभी, निवासी बिदियात, तह0 परबतसर, जिला नागौर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सुखा पुत्र मांगू जाट, नि0 पनेर, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।
2. रामेश्वर पुत्र लालू, जाति भांभी, नि0 पनेर, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 3.3.2016 अंतर्गत वाद संख्या 153/2014 (60/2004).

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विमल किशोर तिवारी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 .

निर्णय

दिनांकः—27.8.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0संख्या 1/वादी ने एक राजस्व विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय में राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 53 व 188 बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी हरदीन जिनके वारिसान अपीलांटस है तथा रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 25.02 है0 भूमि जो ग्राम पनेर में स्थित है उक्त आराजी में वादी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/3 एवं

प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/3 पर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है तथा खातेदार है । वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त करने में विवाद उत्पन्न होता है इस कारण उक्त मौके पर हिस्से अनुसार विभाजन कर पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत कर अच्छे से अच्छे तथा बुरे से बुरे के हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री चाही । प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर मौके पर विभाजन होना बताया तथा उसी अनुसार काश्त करना बताया इसलिये पुनः विभाजन बाबत् वाद अवधारणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से अंसतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना कोई नोटिस जारी किये तथा बिना मौके पर बुलाये, बिना सुनवाई व आपत्ति का अवसर प्रदान किये मौके के विपरीज कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट के अभिभाषक ने अगर न्यायालय में बिना अपीलांटस की जानकारी के दिनांक 2.11.2011 को नो–इन्स्ट्रेक्शन प्लीड किये थे तो फिर न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलांटस को नोटिस जारी करते तथा जब प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.1.2012 ही गलत थी तो उसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे जो नहीं किये गये तत्पश्चात् पत्रावली विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय से दिनांक 4.4.2014 को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के न्यायालय में स्थानातंरित कर दी गई थी । उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा भी प्रकरण के संबंध में अपीलांटस को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि हरदीन जो प्रतिवादी संख्या 1 था जिनके वारिसान गलकू पत्नी हरदीन नहीं थी बल्कि पांची पत्नि हरदीन थी तथा उक्त तथ्य से अधी0न्याया0 को अवगत करा दिया था जिस पर अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 22.6.2012 को जांच करने के आदेश पारित किये थे तो फिर अपीलांट पांची को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था इसके बावजूद अपीलांटस को नोटिस पारित किये बिना तथा बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये डिक्री व डिक्री पारित किया है जो एकपक्षीय होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार, रूपनगढ़ ने जो कुरेजात रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की है वह मौके के विपरीत है क्योंकि जहां पर खसरा नंबर 14/2 अंकित किया है उस स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर को बताया गया तथा अपीलांट को खसरा नंबर 14/1 पर बताया गया है जबकि खसरा नंबर 14/2 पर अपीलांट काबिज काश्त है । अगर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाता है तो उक्त कुरेजात रिपोर्ट मौके के विपरीत है । खसरा नंबर 14/1 व 14/2 अनुसार विभाजन किया जो गलत है क्योंकि खसरा नंबर 14/2 के आगे रोड़ स्थित है तथा उक्त रोड पर रेस्पो0 संख्या 2 को काबिज कर दिया गया है इस पकार बहुमूल्य आराजी रेस्पो0 संख्या 2 को दे दी गई है । अधी0न्याया0 ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की जिससे भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दावा व

जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की थी लेकिन किसी भी तनकी पर अपना निर्णय पारित नहीं कर आदेश 20 नियम 5 की अवहेलना की है जिससे भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जावे कि सभी पक्षकारों की मौजूदगी में कुरेजात रिपोर्ट बनवायी जाकर तथा आपत्ति प्रस्तुत होने पर निर्णित करते हुए नियमों की पालना कर अंतिम डिक्री पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अभिभाषक ने दिनांक 2.11.2011 को अधी0न्याया0 में नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया था जिसकी जानकारी ना तो अभिभाषक ने प्रार्थीगण को दी तथा ना ही अधी0न्याया0 ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया तथा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी तथा उसके पश्चात् अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व भी प्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किये यहां तक कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के यहां से विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को पत्रावली स्थानातंरित किये जाने के संबंध में भी कोई नोटिस जारी नही किया गया जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पो0 संख्या के द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद के नोटिस दिनांक 19.8.2016 को उपस्थिति देने बाबत् प्राप्त होने पर हुई जिस पर प्रार्थीगण ने निर्णय व डिक्री की जानकारी कर दिनांक 17.8.2016 को प्रार्थ्ज्ञना पत्र नकल लेने हेतु प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् अपीलांटस ने निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि तहसीलदार ने अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव अधी0न्याया0 को पेश किये थे जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किय जाने के संबंध में किया गया कथन गलत है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना कर अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में हम अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजियात बाबत् विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 ने 91/2011 दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 26.7.2011 के अनुसार गलकू पुत्री हरदीन व भंवरलाल पुत्र हरदीन की और से उनके वकील श्री गणेश प्रजापत उपस्थित । स्व0 हरदीन की

पुत्री कमला को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 व अन्य नोटिस प्रेषित किये गये है । वह उपस्थित नहीं । अतः उसकी तामील मानते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है । प्रतिवादी नंबर 2 के तामील के उपरांत उपस्थित नहीं । अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । प्रकरण में प्रतिवादी हरदीन द्वारा पूर्व में जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वाद बिन्दु बना दिये गये है तथा वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । तत्पश्चात् पत्रावली वादी की साक्ष्य में चलती रही । अधी0न्याया0 की आदेशिका अनुसार दिनांक 2.11.2011 को प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड किया गया है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 4.1.2012 को वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त विभाजन हेतु कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 22.6.2012 को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 हरदीन की पत्नि का नाम पांची पत्नि हरदीन होना व्यक्त किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने तहसीलदार, किशनगढ़ को निर्देश दिये कि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीन की पत्नि पांची व गलकू एक और का नाम हो तो मौके पर जांच कर मौके पर बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत करे । तत्पश्चात् प्रकरण नवगठित उपखण्ड क्षैत्र रूपनगढ़ का होने से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को हस्तातंरित किया गया । उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने तहसीलदार से कमीश्नरी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 3.3.2016 को प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर वादी की एकतरफा बहस सुनकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के आदेश पारित किये ।

8. अधी0न्याया0 की उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में प्रतिवादी के अधिवक्ता के नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा एव ंना ही अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी को इसकी सूचना दी गई जबकि न्यायालय का यह दायित्व था कि अधिवक्ता के नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड किये जाने पर इसकी सूचना प्रतिवादी को देते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को स्थानातंरित होने के संबंध में कोई सूचना नही दी गई तथा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने भी प्रतिवादी को प्रकरण स्थानातंरण से प्राप्त होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध है । अधी0न्याया0 ने मात्र वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की उपस्थिति में तहसीलदार की एकतरफा कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि तहसीलदार द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व मौके पर पक्षकारान को उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किये गये हो जिससे अधी0 न्याया0 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना किया जाना भी स्पष्ट नहीं होता है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2016 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.3.2016 अपास्त की जाती है तथा निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट तैयार करवा कर, पक्षकारान से आपत्तियां प्राप्त कर,

आपत्तियों पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 27.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर